रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2014/चैत्र 4, 1936
No. 758] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2014/CHAITRA 4, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च,201 4

का.आ. 887)अ(. - केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (34 का 1992) की धारा) की उपधारा 31 और ()3यों का प्रयोग करते हुए शक्तिद्वारा प्रदत्त (, एतद्द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रो य कोसुदेश मुखोपाध्या (सुश्री) . नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1102)अ21 तारीख (अक्तूबर, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्याक 1तथा संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमसंख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, यह अधिसूचना दिनांक फरवरी 21, ला गया। तिथि से जिससे अधोलिखित द्वारा कार्यभार सम्भासे लागू होगी अर्थात् उक्त 2014

")1(	प्रोयसुदेश मुखोपाध्या (सुश्री) .,	अध्यक्ष
	फ्लैट 702, टॉवर 12, वैली व्यू एस्टेट,	
	गुड़गांव फरीदाबाद रोड,	
	ल पहाड़ीग्वा, गुड़गांव 122003 –	

[फा.सं.25-10/2004-डीडी-III]

अवनीश कुमार अवस्थी,संयुक्त सचिव

नोट बरअक्तू 21 भारतीय पुनर्वास परिषद दिनांक :,.आ. काकी अधिसूचना संख्या 2002 सं. 1102(अ के तहत अंतिम बार (गठित की थी तथा बाद में इसे दिनांक जून 13,.आ.के का 2003 सं. 693(अ(, दिनांक 30.09..आ.के का 2003 सं. 1140(अ(, दिनांक अप्रैल 15, 2005 .सं.आ.के का975)अ(, दिनांक जुलाई 11,2005 , दिनांक बरअक्तू 18,के 2008 का.आ. सं. 2479(अ(, दिनांक 29.11. के 2013 का.आ. सं. 3533(अ30 दिनांक (.01..आ.के का 2014 सं. 292(अके तहत संशोधित किया गया था। (

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2014

S.O. 887(E).– In exercise of the powers conferred by sub- sections (1) and (3) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints Prof. (Ms.) Sudesh Mukhopadhya as Chairperson, Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002, namely:—

In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, with effect from 21st February, 2014 i.e. the date of taking over of charge by the under mentioned incumbent :—

"(1)	Prof. (Ms.) Sudesh Mukhopadhya, Flat 702, Tower 12, Valley View Estate, Gurgaon Faridabad Road, Gwal Pahari, Gurgaon – 122003	Chairperson

[F. No. 25-10/2004-DD. III]

AWANISH KUMAR AWASTHI. Jt. Secy.

Note:—The Rehabilitation Council of India was last constituted vide notification number S.O. 1102(E) dated 21st October, 2002 and subsequently amended vide number S.O. 693(E), dated 13th June, 2003, number S.O. 1140(E) dated 30.09.2003, number S.O. 550 (E) dated 15th April, 2005, number S.O. 975(E) dated 11th July, 2005, number S.O. 2479(E) dated 18th October, 2008, S.O. 3533(E) dated 29.11.2013 and S.O. 292(E) dated 30.1.2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.